JALAUN POLICE

दिनांक – 18.04.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी घटना के संबन्ध में कोतवाली माधौगढ में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 04.03.2017 को मु0अ0सं0 27/2017 (वाद संख्या 65/17) धारा 363/366/376(2)(i)/323/344/376D/504 भादवि 5G/6 पॉक्सो एक्ट बनाम 1- राममिलन पुत्र राम दोहरे नि0 ऐदलपुर थाना जालौन जनपद जालौन 2- अवधेश पुत्र हरलाल 3- आनन्द कुमारी पत्नी अवधेश नि0गण ग्राम रजपुरा थाना माधौगढ जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था । विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 11.08.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 18.04.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1- राममिलन उपरोक्त को धारा 363/366/323/344 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 20 वर्ष का कारावास एवं 80,000/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं 2- अवधेश उपरोक्त को धारा 363/366 भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कारावास एवं 20,000/- रूपये से दण्डित किया गया, तथा आनन्द कुमारी को दोषमुक्त किया गया है ।